

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 2 अगस्त, 2016

संख्या वैब 17/ह0अ0 6/2003/धा0 59/2016. – संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची ख तथा ग में बनाने का प्रस्ताव करते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है ।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के कार्यालय वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट हरियाणा टैक्स डॉट गोव इन पर अपलोडिंग की तिथि से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात् सरकार, संशोधन प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी व कराधान विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा संशोधन प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी तथा अन्तिम अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगा:—

संशोधन प्रारूप

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) में,

1. अनुसूची ख में, खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 35 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“35क मेहँदी के पत्ते और इसका पाउडर”;

2. अनुसूची ग में, खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 100क तथा उसके सामने प्रविष्टि का लोप कर दिया जायेगा ।

अनुराग रस्तोगी
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION

The 2nd August, 2016

No. Web. 17/H.A. 6/2003/S.59/2016. – The following draft of amendment which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 59 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), in Schedule, B and C appended to said Act, is published below for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of amendment shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of ten days from the date of uploading of this notification on the official web site www.haryanatax.gov.in together with objections and suggestions, if any, which may be received by the Principal Secretary to Government, Haryana Excise and Taxation Department, Chandigarh from any person with respect to the draft of amendment before the expiry of the period so specified and shall take effect with effect from date of final notification:-

DRAFT AMENDMENT

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003),-

1. in Schedule B, under columns 1 and 2, after serial number 35 and entry thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-
“35A Mehandi leaves and its powder”;
2. in Schedule C, under columns 1 and 2, serial number 100A and entry thereagainst shall be omitted.

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.